न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2024(GCMS 2024/260)
(आरटीआई संख्या 212023930432893)

कौर सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह, जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 09, गांव खाट सजवार, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। पिन – 335062 (मोबाईल नम्बर 96723–72221)

बनाम

तहसीलदार, **राजस्व विभाग, तहसील सादुलशहर,** जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कौर सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार, राजस्व, सादुलशहर की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री कृष्ण अग्रवाल, ए.ओ.के. ने उपस्थित होकर अपील का जवाब पेश किया, शामिल मिसल किया गा। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2024 के द्वारा पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कौर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2024 द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि तहसील कार्यालय सादुलशहर में कार्यरत सरकारी कार्मिक श्री बृजमोहन बजाज जो कि वर्तमान में गिरदावर, हल्का खाटसजवार के पद पर तैनात है कि सर्विस बुक (सेवा पुस्तिका) की प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. यह कि तहसील कार्यालय सादुलशहर में कार्यरत सरकारी कार्मिक उक्त श्री बृजमोहन बजाज जो कि वर्तमान में गिरदावर हल्का खाटसजवार के पद पर तैनात है, कि पर्सनल फाईल (व्यक्तिगत पंजिका) की प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।
3. यह कि तहसील कार्यालय सादुलशहर में कार्यरत सरकारी कार्मिक श्री बृजमोहन बजाज जो कि वर्तमान में गिरदावर के पद पर तैनात है, के खिलाफ आज तक कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है, कितनी शिकायतों में जांच की गई व कितनी शिकायतें लम्बित है, तथा कितनी शिकायतों में नतीजा दिया गया है? समस्त शिकायतों की प्रंमाणित प्रतिलिपियां एवं शिकायतकर्त्ता के नाम, पता, पिता का नाम, जाति सहित की गई प्रत्येक शिकायत की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।
4. उक्त कर्मचारी के खिलाफ की गई शिकायतों के संबंध में आज तक क्या–क्या कार्यवाही कब–कब की गई तथा उक्त कर्मचारी के खिलाफ यदि कोई विभागीय कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।
5. उक्त कर्मचारी सादुलशहर तहसील कार्यालय में कितने दिनों तक किस आदेश के अधीन नायब तहसीलदार के पद पर आसीन रहा? उक्त कर्मचारी के नायब तहसीलदार के पद पर रहने के कार्यकाल की अवधि सहित सक्षम अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/3014 दिनांक 17.10.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा संदर्भित पत्र के द्वारा जो सूचना चाही गयी है वह पूर्व में ही आप के पूर्व पत्र दिनांक 14.08.2023 (संलग्न) के प्रत्युत्तर में इस कार्यालय के पत्रांक क./2023/RTI/690 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा (संलग्न) आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
>
> वर्तमान में संबंधित कार्मिक श्री बृजमोहन बजाज तत्कालीन भू.अ. निरीक्षक, खाटसजवार का स्थानांतरण तहसीलदार कार्यालय श्रीकरणपुर में होने के कारण कार्मिक का सेवाभिलेख व व्यक्तिगत पत्रावली श्रीकरणपुर भिजवायी जा चुकी है।
>
> संलग्न : उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार, सादुलशहर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेंषित किया है, जिसके अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को जवाब पूर्व में दिया जा चुका है **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) निम्नानुसार** अवलोकनीय है:

> (ञ) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का वह समाधान नही हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के सम्बन्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 22/2009 अनवानी केनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम में दिनांक 31.08.2017 के पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

> We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show-cause notices and orders of censure/punishment, etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, **appropriate orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 5 में चाही गई सूचना कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिस[illegible] प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधि[illegible] की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार **उक्त विवेचन के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना को अधिकार के रूप में प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है जैसे कि क्यों, कैसे, कब और क्या। अपीलार्थी केवल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) में परिभाषित फाईल, दस्तावेज, कागजात या रिकॉर्ड आदि को इंगित करे विशिष्ट जानकारी मांग सकते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested